भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1923
दिनांक 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

स्थानीय आवास बोर्ड

†1923. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में स्थानीय आवास बोर्ड (एलएबी) को कोई दिशानिर्देश या अनुमति जारी की है जिसमें अनुबंधगत कर्मचारियों के सरकारी आवासों के आबंटन के लिए अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आबंटन के मानदंड, नियमित सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली प्राथमिकता और ऐसे आवंटन के लिए अनुबंधगत कर्मचारियों पर लगाई गई शर्तों सहित ऐसे दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी आवासों में रहने वाले अनुबंधगत कर्मचारियों के लिए कोई भुगतान शर्तें जैसे लाइसेंस शुल्क का तीन गुना भुगतान किया जाना निर्दिष्ट की हैं और यदि हां, तो ऐसी नीति के पीछे क्या तर्क है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं कि पात्र नियमित कर्मचारियों की या प्रशासनिक आवश्यकता होने पर अनुबंधगत कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास तुरंत खाली कर दिए जाएं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुबंधगत कर्मचारियों को सरकारी आवासों के आबंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी द्वीपों के स्थानीय आवास बोर्डों को मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र नियमित सरकारी कर्मचारियों को आबंटित करने के बाद, उपलब्धता के अधीन, आवासों के आबंटन के लिए अनुबंध कर्मचारियों के अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति दी है।

आबंटन लाइसेंस शुल्क के तीन गुना भुगतान पर किया जाता है, जो उच्चतर श्रेणी के आवास के आबंटन के मामले में सरकारी कर्मचारियों पर लागू लाइसेंस शुल्क के समान है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जब भी पात्र कर्मचारी आवास के लिए आवेदन करते हैं या किसी अन्य प्रशासनिक कारण से जरुरी हो, तो रहने वाले को नोटिस प्राप्त करने के एक महीने के भीतर आवास खाली करना होगा। अनुबंध कर्मचारियों को आवास आबंटित करने से पहले इस संबंध में एक वचन आवश्यक है। आबंटन पर विचार करने से पहले पात्र आवेदकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है।

******